धारा 4 (1) (ब)

I. संस्थान, क्रियाकलाप तथा कर्त्तव्यों विवरण

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास से संबंधित इकाई है। यह केन्द्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों में लगा हुआ है। इस केन्द्र का मुख्य लक्ष्य त्वरक प्रौद्योगिकी के इर्द-गिर्द किये जा रहे विकास एवं त्वरक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा सैद्धांतिक भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, रसायन, समस्थानिक उत्पादन आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। इस केन्द्र में सन् 1980 से एक K = 130 **कक्ष तापमान** साइक्लोट्रॉन को प्रचालित किया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय सुविधा है जो सभी अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के लिए मौलिक तथा प्रायोगिक भौतिकी के प्रयोगों को करने के लिए खुला है। वर्तमान में परीक्षणों के लिए लगभग 150 मेईवे तक भी भारी आयन बीम उपलब्ध है। यहाँ अतिचालक साइक्लोट्रॉन (K520) तथा रेडियोसक्रिय आयन बीम सुविधा का निर्माण कार्य चल रहा है। चिकित्सीय प्रयोजन के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों के लिए प्रासंगिक अन्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों के लिए रेडियोफर्मास्यूटिकल के उत्पादन हेतु मेडिकल साइक्लोट्रॉन की स्थापना की जा रही है। भारत के शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ अनुसंधान तथा विकास के संबंध क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से भी इस केन्द्र का प्रगाढ़ सहयोगात्मक कार्यक्रम चल रहा है।

II. इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

अ. निदेशक : निदेशक परमाणु ऊर्जा विभाग के इस इकाई के प्रधान है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इस केन्द्र के लक्ष्यों तथा गतिविधियों को जारी रखने के लिए इनको वित्तीय, प्रशासनिक एवं अन्य शक्तियाँ प्रदान की गयी है।

ब. सह निदेशक : सह निदेशक का भी इस केन्द्र के लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व है। इन्हें भी केन्द्र के सम्यक परिचालन हेतु वित्तीय, प्रशासनिक एवं अन्य शक्तियाँ प्रदान की गयी है।

यह केन्द्र विभिन्न वर्गों, प्रभागों तथा अनुभागों में सुगठित है। श्रेणीबद्ध ढ़ाँचा नीचे दर्शाया गया है :-

निदेशक

सह निदेशक

वर्ग प्रधान	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	उपलेखा नियंत्रक
प्रभाग प्रधान	प्रशासनिक अधिकारी	लेखा अधिकारी
अनुभाग प्रधान	सुरक्षा अधिकारी	लेखा कर्मचारी
वैज्ञानिक अधिकारी	सहा. कार्मिक अधिकरी	
तकनीकी तथा अनुषंगी कर्मचारी	प्रशासनिक कर्मचारी	

स. वर्ग प्रधान :- वर्ग प्रधान वर्ग के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के उत्तरदायी है। सभी वर्ग प्रधानों को वर्ग संबंधी गतिविधियों के सुसंचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रशासनिकृ वित्तीय तथा अन्य शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

द. प्रभाग प्रधान:- प्रत्येक वर्ग को विभिन्न प्रभाग प्रधानों के अधीन कई प्रभागों में विभाजित है। प्रभाग प्रधान अपने-अपने प्रभागों के उद्देश्यों के सम्यक क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी हैं।

ग. अनुभाग प्रमुख :- प्रभागों को वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा इंजिनीयरों के अधीन अनुभाग में विभाजित है। कार्य स्थल पर अनुभागों के प्रधान वर्ग के उद्देश्यों के अंतिम कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

घ. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी :- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परिवर्ती साइक्लोट्रॉन केन्द्र के प्रशासनिक प्रधान है। इस केन्द्र से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों का निपटान करना इन्हीं का उत्तरदायित्व है।

च. उप लेखा नियंत्रक :- उप लेखा नियंत्रक केन्द्र के लेखा स्कन्ध के प्रधान हैं। इनका उत्तरदायित्व इस केन्द्र से संबंधित वित्तीय एवं लेखा संबंधी सभी मामलों का निपटान करना है।

IV. कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड :-

केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों में लागू सभी नियम-विनियम, तथा अन्य कार्य विधियाँ वीईसीसी में मान्यदण्ड के रूप में स्वीकृत है।

V. इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसका या इसके नियंत्रणाधीन या इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नियम-विनियम, अनुदेश, नियमावली तथा रिकॉर्ड।

समय-समय पर जारी विभिन्न नियमावलियों, अनुदेश, आदेश, न्यायालयी निर्णय आदि के अनुरूप हैं।

VI. इसके या इसके नियंत्रणाधीन सभी दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण:-

इस संबंध में दस्तावेजों की श्रेणियों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न सुविधाओं तथा उपकरणों, वैज्ञानिक प्रकाशन, जर्नल, पुस्तक, नियमपुस्तिका के अनुप्रयोग के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, न्यूजलेटर प्रगति रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्ट, नियमावलियों के रूप में संकेतिक किया जा सकता है।

VII. इसके नीतियों या इसके क्रियान्वयन के संबंध में जन सदस्यों से किसी परामर्श या इनके प्रतिवेदन के लिए बने व्यवस्था का विवरण:-

नीतियों का निर्धारण या इकाई द्वारा उनका क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों तथा निदेशों के अनुरूप हैं। इन नीतियों का निर्माण जनसदस्यों के परामर्श से निर्माण नहीं किया जाता है।

VIII. बोर्ड, कांसिल, समितियों तथा इसके भाग के रूप में या अपनी सलाह के के लिए गठित दो या इससे अधिक व्यक्तियों वाले निकायों का विवरण तथा क्या उन बोर्डों, कांसिलों, समितियों तथा अन्य निकायों की समितियाँ जनता के लिए खुले हैं या ऐसी समितियों के कार्यवृत जनता के पहुँच में हैं:-

वीईसीसी का वैज्ञानिक सलाह कांसिल तथा वीईसीसी सलाह समिति (VAC) प्रशासनिक तथा वैज्ञानिक नीतियों तथा इस केन्द्र के कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेते हैं। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अंतर्प्रभागीय समन्वयन संबंधित परियोजना समिति के माध्यम से मिलता है। इसके अतिरिक्ति, ऐसे और कई समितियाँ हैं जिनका कार्य कर्त्तव्य निर्वहन में इकाई प्रमुख की सहायतार्थ परामर्शी अनुशंसात्मक प्रकृति के होते हैं। कांसिल/समितियों के विचार विमर्श आम जनता को नहीं बताये जाते हैं। ऐसी समितियों के कार्यवृत्त भी गोपनीय रखे जाते हैं।